न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2019

अनवान :

1. अमीलाल पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. प्रकाश पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. बनवारीलाल पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डुंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. भुराराम पुत्र देबुराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शान्ति पुत्री भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बिमला पुत्री भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादीगण**
वकील श्री सुरजीत बिजारणिया **: प्रति0 सं0 1 ता 3**
निर्णय **दिनांक :** 28-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डुंगरसिंहपुरा के वर्तमान खाता सं0 47/35 के खसरा सं0 1/2 की 1.012 है0 खसरा सं0 99 की 0.253 है0 खसरा सं0 193 की 1.859 है0 खसरा सं0 201 की 6.968 है0 कुल किता 4 की 10.092 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी भूराराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा देबुराम की खातेदारी हुआ करती थी देबुराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी भूराराम कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली, जबकि वादभूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 बनवारीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डूंगरसिंहपुरा के खाता सं0 47/35 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम डुंगरसिंहपुरा सम्वत् 2029 से 2038 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। वारिस प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने हस्तगत वाद ग्राम डूंगरसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम डुंगरसिंहपुरा सम्वत् 2029 से 2038 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा देबु वल्द धोकलराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में भूराराम के वारिसान में पत्नी सरबती, तीन पुत्र अमीलाल, प्रकाश, बनवारीलाल व दो पुत्रियां विमला व शान्ति देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगरसिंहपुरा के वर्तमान खाता सं0 47/35 के खसरा सं0 1/2 की 1.012 है0 खसरा सं0 99 की 0.253 है0 खसरा सं0 193 की 1.859 है0 खसरा सं0 201 की 6.968 है0 कुल किता 4 की 10.092 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी भूराराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 भूराराम के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2019

अनवान :

1. अमीलाल पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. प्रकाश पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. बनवारीलाल पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी डुंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. भुराराम पुत्र देबुराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शान्ति पुत्री भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बिमला पुत्री भुराराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगरसिंहपुरा के वर्तमान खाता सं0 47/35 के खसरा सं0 1/2 की 1.012 है0 खसरा सं0 99 की 0.253 है0 खसरा सं0 193 की 1.859 है0 खसरा सं0 201 की 6.968 है0 कुल किता 4 की 10.092 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी भूराराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 भूराराम के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वाद्रीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी क़ी गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: